न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/368/2017

उनवान

1. देवालाल पिता नारायण ब्राह्मण निवासी जयनगर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. बालू पिता देवा माली निवासी जयनगर तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा
2. लादू पिता बीरम माली, निवासी जयनगर तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 137/12 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.6.2017

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री श्यामलाल आगाल, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 05.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी/अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम जयनगर पटवार हल्का शम्भूगढ तहसील आसीन्द में खाता संख्या 138 के आराजी नम्बर 472 रकबा 0.21 है0 पर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड ग्राम जयनगर की नकल जमाबन्दी में वादी/प्रत्यर्थी संख्या 01 बालू पिता देवा का 3/8 व अपीलार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 2 का 3/8 हक हिस्सा साकिन देह के नाम दर्ज होकर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजित होने से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का विभाजन की डिक्री फरमावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीग का वाद पत्र स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई ।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 15.06.2017 को जवाब हेतु नियत थी परन्तु पत्रावली को पेशी में नहीं ली जाकर पौसीदातौर पर दिनांक 27.06.2017 को बिना जवाब व साक्ष्य लिये निर्णित कर दी जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी। अन्तिम डिक्री के लिए कार्यवाही कराने की सूचना आने से अपीलाण्ट को दिनांक 16.11.2017 को जानकारी होते ही नकल के लिए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर दिनांक 16.11.2017 को यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण में पेशी दिनांक 15.06.2017 नियत थी उस दिन पत्रावली में पेशी नहीं ली गई थी व दिनांक 27.06.2017 को बिना अपीलार्थी को सूचित किये लोकअदालत कैम्प में इस पत्रावली का निस्तारण कर निर्णय कर दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पक्षकारान के मध्य बंटवारा पूर्व में ही हो रखा था तथा सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज है इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 01 को बटवाड़े का वाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी को सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया व जवाब एवं साक्ष्य नहीं लिया न ही दस्तावेज प्रदर्श कराये फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री पारित कर भारी भूल की है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने यह आराजी नम्बर 472 जरिये रजिस्टर्ड विलेख द्वारा लादू पिता देवा तेली से दिनांक 14.09.2001 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। जिसके पड़ौस पूर्व में लादू पिता बालू माली, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में लादू पिता बालू माली की आराजी व दक्षिण में मांगीलाल पिता किशना माली की आराजी दर्ज है। उपरोक्त पड़ौसों की आराजी लादू पिता देवा माली ने जगदीश पिता सुवा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

माली से दिनांक 27.05.1986 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। तभी से अपीलार्थी उक्त सीमाओं की आराजी पर विक्रय करने के बाद से काबिज होकर काश्त कर रहा है। बटवाड़े की डिक्री कब्जे के आधार पर होनी चाहिए थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से कब्जे पर गौर ना कर प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में भारी भूल की है इस कारण यह निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री निरस्त होने योग्य है। विकल्प में निवेदन है कि निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री निरस्त कर इस प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जावे।

7. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह- सद्भाविक एवं सतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाथी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया । हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन किया। पत्रावली में अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीलाल अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए व दिनांक 19.12.2012 से दिनांक 02.03.2017 तक जवाब का अवसर चाहा। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दर्ज आदेशिका दिनांक 02.03.2017 अनुसार पत्रावली वास्ते जवाब हेतु आगामी पेशी दिनांक 15.06.2017 को नियत की गई। परन्तु इसी बीच दिनांक 27.06.2017 को पत्रावली में आदेशिका "

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्रावली चिन्हित होने से लोक अदालत कैम्प पर तलब की गई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल हो।'' अंकित करते हुए निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। जबकि पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 15.06.2017 नियत थी। अर्थात दिनांक 15.06.2017 की कोई आदेशिका अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दर्ज नहीं है एवं न ही पत्रावली को कोर्ट कैम्प शम्भूगढ पर रखे जाने हेतु अपीलार्थी को दिनांक 27.06.2017 के कोई सूचना पत्र या अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। यहां तक कि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किए जाने या जवाब बन्द किए जाने के सम्बन्ध में भी कोई आदेशिका अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय बिना पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाए पारित किया गया है । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

9. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.10.19 को उपस्थित रहें।

10. निर्णय आज दिनांक 05.09 .2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए / 368 / 2017

उनवान

1. देवालाल पिता नारायण ब्राह्मण निवासी जयनगर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. बालू पिता देवा माली निवासी जयनगर तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा
2. लादू पिता बीरम माली, निवासी जयनगर तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 137 / 12 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.6.2017

——

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 137 / 2012** मे **उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती-हैं:

यह अपील तारीख 05.09.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री श्यामलाल आगाल अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 05.09.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

: अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 को खारिज किया जाता हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया ज़ा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

7 TA/368/2017 देवालाल बनाम बालू

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा